राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची

पत्रांक– ....84......................रा0स0 राँची, दिनांक–12.01.2022

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना

नव वर्ष 2022 के अवसर पर राजभवन/राज्यपाल सचिवालय, राँची के उपयोग के लिए राजभवन डायरी 2022 के मुद्रण हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सूचना भवन अवस्थित राज्यपाल सचिवालय, राँची के लेखा शाखा में दिनांक–**24/01/2022 (सोमवार) अपराहन 01:00 बजे** तक स्वीकार की जायेगी एवं दिनांक–**24/01/2022 (सोमवार) अपराहन 04:00 बजे** बजे राज्यपाल सचिवालयए राँची स्थित हॉल में निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता मुहरबंद लिफाफे दर्ज करेंगे। निविदा के नियम एवं शर्ते निम्नलिखित हैं :–

1- डायरी 2022 के मुद्रण की विशिष्टियाँ निम्न प्रकार हैं-
a) Size-25x19cm (with Rexine foam cover) **Pages**-250 pages – 1000 (One Thousand) copies .
b) Size-18x11cm (Board cover with rexine) **Pages**-250 pages – 500 (Five Hundred) copies .

2. डायरी मुद्रण की संख्या को आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है।

3. निविदा दो लिफाफो में Technical Bid एवं Financial Bid अलग–अलग सील करके दोनों लिफाफे को एक बड़ा लिफाफा में सीलबंद करके जमा करना होगा। Technical Bid सही पाये जाने पर ही Financial Bid खोला जायगा।

4. प्रतिभूति राशि (security money) के रूप में "Governor's Secretariat, Ranchi" के नाम से रू0 2,000/- (दो हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

5. GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

6. निविदादाता को शपथ–पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है।

7. डायरी प्रकाशन का 3 वर्ष का अनुभव/प्रमाण (यदि हो तो) संलग्न करना होगा।

8. डायरी प्रकाशन turnkey आधारित होगा। राज्यपाल सचिवालय के निदेश के आलोक में प्रकाशक को विभिन्न कार्यालयों के पदाधिकारियों के नाम उनके टेलिफोन/मोबाईल नम्बर का संकलन कर प्रकाशित करना होगा।

9. निविदा समिति को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10. निविदा उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय के नाम से समर्पित करना होगा।

11. जिस किसी निविदा दाता का निविदा स्वीकृत किया जायेगा वे निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। कार्य करने से इंकार करने पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि को जब्त कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा।

प्रधान सचिव के आदेश से,

(अराधना)
उप सचिव